# खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

## वाहन अधिहरण अपील वाद संख्या–10/2025

### जिला–सारण

भोलू गुप्ता ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, सारण एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

### आदेश

**13.02.2026**

A. यह अधिहरण अपील वाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–56 (क) के आलोक में श्री भोलू गुप्ता द्वारा लाया गया है।

B. 1. मूल मामला यह है कि सारण जिलान्तर्गत खैरा थाना काण्ड संख्या–111/2024, दिनांक–06.04.2024 में जब्त वाहन ट्रक निबंधन संख्या–BR28GA-2812 को अधिहरित करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक–148, दिनांक–13.09.2024 द्वारा समाहर्त्ता, सारण से की गई।

2. न्यायालय, समाहर्त्ता, सारण के समक्ष अधिहरण वाद संख्या–327/2024 में अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस देने तथा समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन के बावजूद अपीलकर्त्ता के अनुपस्थित रहने के कारण वाहन को दिनांक–20.01.2025 के आदेश से वाहन को अधिहरित कर लिया गया।

3. आवेदक ने अपील आवेदन के साथ एवं विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होकर दण्ड की राशि ₹2,53,100/–, GRN No.-BHR2025050059744M के माध्यम से दिनांक–15.05.2025 को जमा करने की बात कहते हुए वाहन विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

4. इस न्यायालय के आदेश के आलोक में वाहन के वस्तुस्थिति के संदर्भ में खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा पत्रांक–92, दिनांक–14.01.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन खैरा थाना में खड़ा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पत्रांक–230, दिनांक–11.02.2026 से ₹2,53,100/– का भुगतान दिनांक–15.05.2025 को किए जाने की पुष्टि की है।

C. 1. अपीलकर्त्ता का वाहन अवैध बालू के प्रेषण तथा निर्धारित अवधि में शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य का भुगतान नहीं करने के कारण समाहर्त्ता, सारण द्वारा अधिहरित किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात राशि जमा किया गया है, किन्तु ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

2. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–55 के अधीन बकाया राशि पर 24 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान है। अतः वाहन जप्ती के 30 दिनों की समाप्ति से लेकर अपीलकर्त्ता के शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य जमा करने की अवधि के लिये नियमावली के नियम–55 के अधीन 24 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि का भुगतान दो सप्ताह के अंदर करने का निदेश दिया जाता है।

3. अगर वर्णित अवधि में (आदेश की तिथि से दो सप्ताह में) अपीलार्थी द्वारा 24 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि जमा कर दी जाती है, तो अन्य किसी मामले/नियम के अधीन वाहन के विमुक्ति पर रोक नहीं हो तो, वाहन अपीलार्थी की पहचान पर नियमानुसार तुरंत विमुक्त कर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर समाहर्त्ता, सारण के आदेश का कार्यान्वयन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1248 /एम0, दिनांकः– 13/02/2026

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, सारण/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, सारण/ श्री भोलू गुप्ता, ग्राम–कड़नपट्टी, पो0–माधोपुर बुजुर्ग, थाना–तरेया सुजान, जिला–कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ईमेल–sarikakumari2007@gmail.com/ amodvidyarthy@gmail.com/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/02/2026
सहायक निदेशक